न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 105 / 22
जीसीएमएस नं. 2022 / 248

दायर दिनांक: 05.08.2022

उनवान

तेजसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादी

बनाम

1 जसवन्तसिंह 2 बहादुरसिंह पुत्रान परसराम जाति जाट नि. मालाहेडा तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——असल प्रतिवादीगण

3 जीवनसिंह पुत्र मटोली जाति मीना नि. सलैमपुर खुर्द 4 दुष्यन्तसिंह पुत्र राजसिंह जाति जाट नि. पथैना 5 महेशचन्द पुत्र केशवदेव जाति वैश्य नि. सलैमपुर खुर्द 6 रमेशचन्द पुत्र सुगनसिंह जाति मीना नि. झारौटी तह. भुसावर 7 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर तह. भुसावर राज.।

——तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :–

1 श्री छोटेलाल मीना ——वादी
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——प्रति.सं. 1, 2
3 श्री रमेशचन्द पाण्डेय ——प्रति.सं. 3 लगा. 6

प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.07.2025

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 279 रकवा 0.0100, 280 रकवा 0.4000 किता 2 कुल रकवा 0.4100 हेक्टेयर वाके ग्राम मालाहेडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है, जिसमे वादी 396 / 24829 हिस्से का, असल प्रतिवादी संख्या एक जसवन्तसिह 46463 / 99316 हिस्से का, असल प्रतिदादी सख्या 2 बहादुरसिह 46463 / 99316 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 जीवनसिह 300 / 24829 हिस्से का, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 दुष्यन्तसिह 603 / 49658 हिस्से का, तरतीवी प्रतिवादी सख्या 5 महेश 300 / 24829 हिस्से का व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 रमेशचन्द 300 / 24829 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। और इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं असल प्रतिवादीगण संख्या एक व दो तथा तरतीवी प्रतिवादी सख्या 3 लगायत 6 की संयुक्त काश्तकारी की एवं संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं आसल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु मौके पर आराजी का बाहमी मनवट कर रखा है, जिसके आधार पर वादी एवं असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन असल प्रतिवादीगण सरगना व लठैत व्यक्ति है, जो वादी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी को उसके हिस्से की आराजी का पूरा पूरा लाभ प्राप्त नही होने देते है। और आराजी मे से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियो को रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादी को उसके हिस्से की अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

न करना चाहते है एवं बिना विभाजन कराये वादग्रस्त आराजी मे से मौके की आराजी पर कब्जा करते अपना पुख्ता निर्माण करना चाहते है, जिसके लिए असल प्रतिवादीगण ने मौके पर निर्माण सामग्री डाल. , व आराजी मे मिटटी का भर्त भी कर दिया है। जबकि बिना विभाजन असल प्रतिवादीगण को आराजी रहन, वय व मुन्तकिल करने का व किसी तरह कच्चा/पुख्ता निर्माण करने का कोई भी कानूनी कार प्राप्त नही होते है।

यह कि दिनांक 31.07.2022 को वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त आराजी का कानूनी विभाजन ाने के लिए कहा। तो असल प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने विभाजन से इंकारी करते हुए धमकी दी कि तो वादग्रस्त आराजी मे से अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर क्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करके रहेगे, और अपना पुख्ता निर्माण करके रहेगे, और तुझे अच्छी मौके की आरांजी से बेदखल कर महरूम कर देगे, और तुझे तेरे हिस्से की आराजी पर किसी तरह से ाश्त भी नही करने देगे। अतः वादी, प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का कानूनी विभाजन करा पाने का धिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा श्री रमेशचन्द पाण्डेय एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 की ओर से वकालतनामा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा पेश किया गया।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर हम दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 279 रकबा 0.01, 280 रकबा 0.40 हैक्टे. वाके ग्राम मालाहेडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर की जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नांकित सिद्धांतों की पालना करते हुए दिनांक 21.08.2025 से पूर्व आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जावें–

1:– प्रत्येक पक्षकार को आवंटन भाग का मूल्याकंन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपातिक होगा।
2:– प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथा सम्भव एक साथ होगा।
3:– यथा सम्भव किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नही दी जावें।
4:– यथा सम्भव विद्यमान खेतों के टुकडे नही किये जावें।
5:– यथा सम्भव किसी पक्षकार के पृथक कब्जें के भूखण्ड को उसी पक्षकार को दिया जावें यदि भूखण्ड उसके हिस्से से अधिक नही हों।
6:– प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जावें।
7:– आवश्यकतानुसार यथा सम्भव रास्ता प्रस्तावित करें।

नोटः– यदि उपरोक्त विवादित आराजीयात से संबंधित किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन हो, तो उसके विभाजन प्रस्ताव पर लाल स्याई से नोट अंकित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

दिनांकः 16.07.25

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 602

तहसीलदार
भुसावर।

विषयः— मु.सं. 105 / 22 (2022 / 248) उनवान तेजसिंह बनाम जसवन्तसिंह वगै. में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.07.2025 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री किया गया है। आ.ख.नं. 279 रकबा 0.01, 280 रकबा 0.40 हैक्टे. वाके ग्राम मालाहेडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर की जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव निम्नांकित सिद्धान्तों का पालन करते हुये तैयार करें। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.08.2025 से पूर्व आवश्यक रूप से निर्धारित प्रपत्र में भिजवायें।

1:— प्रत्येक पक्षकार को आवंटन भाग का मूल्याकंन उस जोत में उसके हिस्से से आनुपातिक होगा।
2:— प्रत्येक पक्षकार को आवंटित भाग यथा सम्भव एक साथ होगा।
3:— यथा सम्भव किसी पक्षकार को सारी हल्की या सारी उत्तम कोटि की भूमि नहीं दी जावें।
4:— यथा सम्भव विद्यमान खेतों के टुकडे नही किये जावें।
5:— यथा सम्भव किसी पक्षकार के पृथक कब्जें के भूखण्ड को उसी पक्षकार को दिया जावें। यदि भूखण्ड उसके हिस्से से अधिक नही हों।
6:— प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जावें।
7:— आवश्यकतानुसार यथा सम्भव रास्ता प्रस्तावित करें।

नोटः— यदि उपरोक्त विवादित आराजीयात से संबंधित किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन हो, तो उसके विभाजन प्रस्ताव पर लाल स्याई से नोट अंकित करें।

विभाजन प्रस्ताव अविलम्ब तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा भिजवाये गए प्रपत्र में भिजवावें। प्रपत्र आपको पूर्व में भिजवा दिया गया है।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)